न्यायालय में श्रीमान् रेवेन्यू वोर्ड अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म0प्र0

(38)

R-2312-II/14

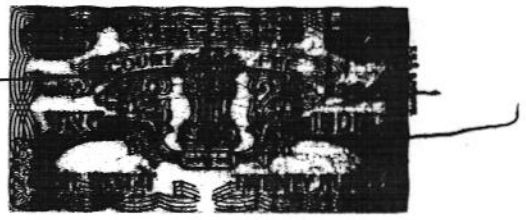

पुनरीक्षण क्र0 /14

केशव प्रसाद पटेल पिता रामसुन्दर पटेल निवासी ग्राम कठार तहसील मानपुर थाना मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 .... **आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता**

<u>बनाम</u>

विद्याबाई पति हरवंश पटेल निवासी ग्राम कठार तहसील मानपुर थाना मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 .... **अनावेदक / रेस्पाडेण्ट**

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 30.7.14 को प्रस्तुत
30.7.14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय उमरिया जिला उमरिया **म0प्र0** के रा0प्र0क्र0 46/स्व0पुन0/2010–2011 **के आदेश** दि0 24.06.2014 के विरुद्ध</u>

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता निम्नांकित निवेदन करता है कि :–

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

8 ... 30/7/14

यह कि ग्राम कठार की आ0ख0नं0 915/1 रकवा 0.506 हे0 भूमि का भूमिस्वामी तहसीलदार बांधवगढ़ जिला उमरिया म0प्र0 के द्वारा राजस्व प्रक0 क्र0 605/अ-19(4) 90-91 आदेश दिनांक 09.08.91 में पारित आदेश के विरुद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में स्वमोटो निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसका मामला क्र0 46/स्व0निगरानी/2010–11 प्रस्तुत की गई थी, जिसे स्वीकार कर उत्तरार्थी को तलब कर उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी कर मूल प्रकरण बुलाये जाने का आदेश पारित करते हुये उक्त प्रकरण फाइनल बहस हेतु नियत किया गया था। अचानक फाइनल बहस में लगने के बाद उत्तरार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रचलनशीलता का आवेदन प्रस्तुत कर स्वमोटो निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया, जिसका जवाब निगरानीकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि फाइनल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2312-दो/2014 जिला उमरिया केशव विरूद्ध विद्याबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018 21.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक केशव की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 46/स्व.पुन./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को	

अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य